म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 3482/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2025 दिनांक 11/12/25

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
मंदसौर विश्वविद्यालय
मंदसौर (म.प्र.)

विषय– शैक्षणिक सत्र वर्ष 2025–26 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष **2025–26** में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक **26.11.2025** में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 198वीं सभा बैठक दिनांक **02.12.2025** में किये गये अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:–

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025–26 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रूपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Faculty of Business Management	BBA	47300	38250	6750	**45000**
2		MBA	85800	68850	12150	**81000**
3		Ph.D	77000	62475	11025	**73500**
4	Faculty of Arts	BA (Journalism & Mass Communication)	57750	46750	8250	**55000**
5		BA (Fashion Design)	69300	56100	9900	**66000**
6	Faculty of Commerce	B. COM	41250	33150	5850	**39000**
7	Faculty of Engineering & Technology	Diploma (ELEC.)	47300	38250	6750	**45000**
8		Diploma (MECH)	47300	38250	6750	**45000**
9		BE (CSE)	88000	70975	12525	**83500**

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025–26 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रूपये में)

10	Faculty of Engineering & Technology	BE (EEE)	82500	66300	11700	**78000**
11		BE (MECH)	82500	66300	11700	**78000**
12		M Tech	93500	75650	13350	**89000**
13		Ph.D	99000	76500	13500	**90000**
14	Faculty of Education	B.Ed	52800	42500	7500	**50000**
15		B.P.Ed	52800	42500	7500	**50000**
16		B P ES	44000	35700	6300	**42000**
17		MA Education	41800	33575	5925	**39500**
18		Ph.D	77000	62475	11025	**73500**
19	Faculty of Pharmacy	D PHARM	60500	48875	8625	**57500**
20		B PHARM (BRNCOP)	88000	71400	12600	**84000**
21		M. Pharma (Pharmaceutics)	82500	66300	11700	**78000**
22		Ph.D	99000	76500	13500	**90000**
23	Faculty of Agriculture	B.Sc Hons. (Agriculture)	69300	56100	9900	**66000**
24		M. Sc (Agriculture & Agronomy)	63250	51000	9000	**60000**
25	Faculty of Life Science	B.Sc (Biotech. Hons)	41800	33575	5925	**39500**
26		B.Sc (Microbiol. Hons)	41800	33575	5925	**39500**
27		B.Sc (Forensic Science)	53000	42500	7500	**50000**
28		M.Sc (Microbio. Hons)	42900	34000	6000	**40000**
29		M.Sc (Biotech. Hons)	42900	34000	6000	**40000**
30		Ph.D	88000	71400	12600	**84000**
31	Faculty of Computer Application	BCA	41800	33575	5925	**39500**
32		BCA (CC/SYSCS)	63250	51000	9000	**60000**
33		MCA	69300	56100	9900	**66000**
34		Ph.D	88000	71400	12600	**84000**
35	Faculty of Library Science	B. Lib. Sc	30250	24225	4275	**28500**
36		M. Lib. Sc.	30250	24225	4275	**28500**
37		Ph.D	77000	62475	11025	**73500**
38	Faculty of Ayurveda	BAMS	310000	236300	41700	**278000**
39		Ph.D	99000	76500	13500	**90000**
40	Faculty of Nursing	B. Sc (Nursing)	88000	71400	12600	**84000**

उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025–26 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्को का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास मे ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकडों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकडों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा ।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नही होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नही है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
7. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2025–26 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. देवेन्द्र सिंह गुर्जर)
सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक 3488 **/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2025** **भोपाल, दिनांक** 11/12/25

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

.... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल